राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर–302016

क्रमांक :–एफ 28 / सा. प्र. / जनरेटर रख–रखाव / 2023–24 / 2739 दिनांक : 18/12/2023

–::निविदा सूचना::– 07/2023–24

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर (बीमा भवन) के **जनरेटर रख–रखाव** एवं मरम्मत का कार्य जॉब बेसिस पर करवाया जाना है जिसके लिये भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत विभाग से पंजिकृत/रजिटर्ड फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज से तकनीकी एवं वित्तीय निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र0 स0	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क(अवापसिय)
1	**राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य कराने बाबत्।**	2.50 लाख रु0	रूपये 5000/–	500/–रु0

1 सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था को निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 27-12-23 सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय में दिंनाकः 27-12-23 सांय 2:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

2 निविदा से सम्बन्धित शर्तें एवं निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में मुख्यालय के कमरा न0 56 कैशियर के यहाँ राशि 500/– रु0 जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है या विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

3 प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 27-12-23 को सायं: 4.00 बजे उपापन समिति द्वारा खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4 निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निदेशक/अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि जयपुर को होगा।

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. वि.
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4895013

1/16

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

निविदा प्रपत्र

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत पैनल्स ट्रांसफार्मर ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य का निविदा प्रपत्र**

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/–(रूपये पांच सौ मात्र)

बिड प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में राशि रूपये 5000/–रू. का डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

नोटः–

(1) इस निविदा प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।
   1 तकनीकी निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट 'ई'
   2 वित्तीय निविदा प्रपत्र – परिशिष्ट 'एफ'
   3 निविदा की शर्तें – परिशिष्ट 'जी'
   4 अन्य परिशिष्ट ए से डी ।

(2) निविदाऐं दो पृथक–पृथक लिफाफों में अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।

(3) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे में निम्न प्रपत्र दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा सीलबंद लिफाफे पर **बीमा भवन मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट विद्युत पैनल्स ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य का निविदा प्रपत्र** अंकित करना होगा।
   1 फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
   2 बिड प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में राशि रूपये 5000/–रू.का डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
   3 बिड निविदा शुल्क 500/– का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।
   4 तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–ई)
   5 सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर युक्त निविदा की शर्तें (परिशिष्ट–जी)
   6 राजकीय विभाग, अर्द्धशासकीय कार्यालयों,अन्य संस्थाओं में जनरेटर रखरखाव का तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र।
   7 फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
   8 जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
   9 किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड किया जायेगा।

(4) जिन फर्मों/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उप[illegible] वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर [illegible] अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4850013

(5)''तकनीकी निविदा'' और ''वित्तीय निविदा'' के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बडे लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बडे लिफाफे पर **बीमा भवन मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट , पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य का निविदा प्रपत्र** अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाऐं यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती है तो कार्यालय राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर उत्तरदायी नही होगा।

(6) दिनांक 27/12/2023 को सांय 03:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 27/12/2023 को सांयः 4.00 बजे निविदाओं के लिफाफो को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। जनरेटर रखरखाव की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर कमरा नम्बर 56 में 500/– रूपये नकद भुगतान कर दिनांक 27/12/2023 सांय 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते है।

(7) तकनीकी परीक्षण के दौरान जनरेटर रखरखाव कार्य के निविदादाता के उपलब्ध संसाधन व अनुभव डेमो आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी निविदादाताओं को बुलाया जा सकता है और बुलाये जाने की स्थिति में उन्हे निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिये किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण उपकरण आदि व्यवस्था कार्यालय राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा नहीं कराई जावेगी, न ही किसी प्रकार के खर्चे का पुनर्भरण किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण निविदादाता स्वयं के खर्चे पर करेगा।

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य बीमा एव प्रा. निधि विभाग,
राजस्थान,जयपुर

3/16

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर मुख्यालय परिसर में **स्थित जनरेटर सैट, विद्युत पैनल्स ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य** हेतु निविदा दी है। उनका/ मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल सेलिंग/ विपणन एजेण्ट है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत का लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता
टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–ई

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर, मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत पैनल्स ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य का तकनीकी निविदा प्रपत्र ।**

1 निविदादाता का नाम व पूर्ण पता : ....

....

2 निविदा सूचना क्रमांक : ....

3. निविदा शुल्क **रूपये 500/–** जमा कराने का विवरण : ....

4. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय : ....

5. बिड प्रतिभूति(अमानत) राशि का विवरणः ....

6. जीएसटी पंजीयन कमांक (नियमानुसार) : ....

7. फर्म का पैन कार्ड नम्बर : ....

8. निविदा प्रपत्र के बिन्दु संख्या 03 में अंकित समस्त दस्तावेज संलग्न किये जावे।

मुझे इस निविदा की संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा

5/16

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4895013

परिशिष्ट – एफ

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य का निविदा प्रपत्र**

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य** की दरें भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग–अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में ''**वित्तीय निविदा**'' अंकित करें। कार्य की दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करें।

क्र. स.	विवरण	**जनरेटर रखरखाव** मय डीजल एवं विद्युत से संबंधित समस्त कार्य हेतु वार्षिक दर (सभी कर सहित)	
		राशि अंकों में	राशि शब्दों में
1	**राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य**		

1. निविदा स्वीकृत होने पर आदेश प्रेषण के दिनांक से 5 दिवस के भीतर स्वीकृत निविदा राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराते हुये 500/–रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कर, कार्य प्रारम्भ करना होगा।
2. कार्य में प्रयुक्त होने वाले 10000/–(अक्षरे दस हजार रू.) तक की राशि के पार्ट्स सम्बन्धित AMC कर्ता फर्म को वहन करने होगें, 10000/– रू. (अक्षरे दस हजार रू.) से अधिक राशि के रिपेयेबल पार्ट्स का भुगतान इस विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. GF&AR एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित समस्त नियमों की पालना सफल निविदादाता को करनी होगी।
4. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निदेशक/अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4895013

<u>परिशिष्ट 'जी'</u>

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE DIRECTOR STATE INSURANCE & PROVIDENT FUND
DEPARTMENT JAISING HIGHWAY ROAD, BANIPARK,JAIPUR

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य की निविदा शर्ते**

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) <u>पात्रता (Eligibility Criteria)</u> जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1– फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

2– बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 5000/– रू. का डी.डी/बैंकर्स चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

3– निविदायें दो अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा "प्रि–क्वालिफाइड बिड/तकनीकी बिड" का होगा तथा दूसरा "वित्तीय बिड" के लिये होगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य के लिये पृथक–पृथक बन्द लिफाफों में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

4–प्रथम लिफाफे (प्री क्वालीफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखें जावेंगे:–

(क) फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
(ख) बिड/प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में 5000/–रू. का डी.डी/बैंकर्स चैक
(ग) बिड निविदा शुल्क 500/– का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।
(घ) तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–ई)
(ड.) सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर युक्त निविदा की शर्तें (परिशिष्ट–जी)
(च) राजकीय विभाग, अर्द्वशासकीय कार्यालयों, संस्था मे जनरेटर रखरखाव एवं विद्युतकार के रूप में कार्य करने का तीन वर्षो का अनुभव प्रमाणपत्र।
(ज) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
(ट) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
(ठ) किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होंने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेट किया जायेगा।
(ड) परिशिष्ठ बी भर कर संलग्न किया जायेगा।

5– दूसरे लिफाफे में केवल वित्तीय बिड "परिशिष्ठ एफ" राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय परिसर में स्थित जनरेटर सैट, विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन तथा नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर गंगानगर शुगर मील के कार्यालय में संचालित बीमा विभाग कार्यालय में **ट्यूबलाईट, पंखे व अन्य सभी विद्युत उपकरण/लाईन** के रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य की वित्तीय बिड़ होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

7/16

6– दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा **राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर** के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष/मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।

(ब) कार्य सम्बन्धित विवरण व शर्तें :–

1. जनरेटर को आवश्यकता पर तुरन्त चालू करना होगा। फर्म को अवकाश दिवस में भी बुलाने पर विद्युत सम्बन्धित समस्या को ठीक करना होगा।
2. जनरेटर एवं अन्य विद्युत उपकरण देखभाल एवं चालू रखने हेतु फर्म का प्रतिनिधि प्रतिदिवस कार्यालय में उपस्थित रहेगा तथा सामान्य प्रशासन अनुभाग प्रभारी के द्वारा दिये गए निर्देशों की पालना करेगा।
3. विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल प्रभाव से जनरेटर चालू करना होगा तथा विभाग की विद्युत समस्या जैसे:– ट्यूबलाईट लगाने, स्वीच सॉकिट लगाने, पंखे लगाने/उतारने एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी उपकरण को चालू करने का कार्य भी करेगा।
4. विद्युत से संबंधित सामान स्टोर मुख्यालय के प्रभारी से जारी करवाकर यथास्थान लगाने जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
5. फर्म/संस्था द्वारा ही जनरेटर में डीजल डाला जायेगा।
6. फर्म/संस्था द्वारा ही जनरेटर के समस्त खराब पार्ट्स दुरस्त एवं चालू रखने की जिम्मेदारी होगी।
7. फर्म/संस्था द्वारा जनरेटर चालू नहीं रखने पर प्रतिदिवस 1000/– रू. की कटौती संबंधित माह के बिल से काटी जायेगी।
8. जनरेटर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की देखभाल/सर्विस एवं चालू रखने के समय होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
9. फर्म का प्रतिनिधि समय–समय पर जनरेटर की सर्विस भी करेगा साथ ही विद्युतकार संस्था को आई. टी. आई. इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा की छायाप्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
10. जनरेटर सर्विस देने के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(स) सामान्य नियम व शर्तें :–

1. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की सभी शर्तें दिये जाने वाले आदेश के लिए मान्य होंगी।
3. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।
4. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ– साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
5. अनुबंध/आदेश किसी भी समय भंग किया जा सकता है यदि जनरेटर रखरखाव कार्य प्रशासन की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं होता।
6. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है। निविदा द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं में से प्रशासन के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।
7. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने हो...

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

8. सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ का लिफाफा खोला जावेगा, जिसकी उपापन समिति जाँच करेगी। जाँच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
9. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के सात दिवस में निविदा राशि के 5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा 500/– रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि जब्त कर दी जावेगी।
10. कार्य संपादन प्रतिभूति को संविदा की समाप्ति के दो माह बाद संतोषप्रद कार्य होने पर निविदादाता के लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी।
11. फर्म द्वारा जनरेटर में ऑयल/सर्विस त्रैमासिक करनी होगी।
12. विद्युत आपूर्ति प्रति दिन 01 घंटा तक बन्द/बाधित रहती है तो फर्म द्वारा ही डीजल भरवाया जावेगा। इससे अधिक आपूर्ति बाधित हो तो विभाग डीजल उपलब्ध करवायेगा।
13. अनुबंधित फर्म जनरेटर रखरखाव का कार्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
15. उक्त ठेका हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक ...../...../2023 सायं 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
16. सफल निविदादाता द्वारा बीच में कार्य छोड़ा जाता है या कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. ठेके की अनुमोदित दरें स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी, जिसे 3 माह और बढाया जा सकता है।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
19. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
20. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।
21. पैनल्टीः– कार्य से सम्बन्धित उपकरणों के खराब होने पर समय पर उसी दिन ठीक नहीं करने पर प्रतिदिन 500/रू. की पैनल्टी काटी जाएगी।
22. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में उनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।
23. निविदादाता करार को निष्पादित करते निन्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :–
    (1)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
    (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    (3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
    (4) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
24. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

9/16

(द) बिड प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्ते :-

1. निम्नलिखित मामलों में बिड प्रतिभूति समपृहत (फोरफिट) कर ली जावेगी।
   1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
   2. जब निविदादाता निर्धारित समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।
2. जब निविदादाता कार्य आदेश देने के बाद निर्धारित समय में कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(य) कार्य संपादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्ते :-

1. कार्य संपादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. निम्नलिखित मामलों में कार्य संपादन प्रतिभूति समपृहत (फोरफिट) कर ली जावेगी।
   1 जब संविदा के किन्ही निबंधन/शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
   2 जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
   3 कार्य संपादन प्रतिभूति को समपृहत (फोरफिट) करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में **राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर** का निर्णय अन्तिम होगा।

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य बीमा एव प्रा. निधि विभाग,
राजस्थान,जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम...
पूरा पता..
मोबाईल/टेलिफोन नं..............................

10/16

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g . Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

11/16

RajKaj Ref 4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for

procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

RajKaj Ref 4895013

Signature valid

Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process
The designation and address of the First Appellate Authority is ---------------
The designation and address of the Second Appellate Authority is -----------

---

1. **Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved

:Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates theTechnical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**

(a) **An appeal under** para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

RajKaj Ref
4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

6. **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. **Procedure for disposal of Appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

Signature valid

RajKaj Ref
4895013

Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

RajKaj Ref 4895013

Signature valid
Digitally signed by K[illegible]n Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved

FORM No. 1

[*See rule 83*]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer : ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

16/16

RajKaj Ref 4895013

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh Charan
Designation : Joint Director
Date: 2023.12.15 16:12:26 IST
Reason: Approved